1

Action taken report in compliance of Hon'ble NGT order dated 15/01/2019 in OA No 29/2019(Residents of Village Aheda Vs State of Uttar Pradesh).

Pursuant to the directions given by Hon'ble NGT on dated 15/01/2019 in OA No 29/2019 (Residents of Village Aheda Vs State of Uttar Pradesh). It is submitted that-

1-The above said order was received in Head Office, Lucknow of UPPCB on dated 06/02/2019 through Email and later on sent to Regional office, UPPCB,Meerut.

2-A complaint against M/s Indo Industries,Chamraval Road, Village Aheda, Tehsil and District Bagpat from residents of Village Aheda was received through District Administration to this office on dated 12/02/2019. A notice was sent to the industry on dated 13/02/2019 on the basis of inspection dated 06/02/2019 . Again a letter was received from District Administration on dated 21/02/2019 along with an order from National Human Rights Commission in this matter(copy attached). The inspection was carried out on dated 21/02/2019 in view of the order passed by National Human Rights Commission.

3-On the basis of Inspection report dated 21/02/2019 the consent Air and Consent Water were revoked under section 21(6) of Air(Prevention and control of Pollution) Act 1981 as amended and Water (Prevention and control of Pollution) Act 1974 as amended respectively the copy of the revocation letters are attached.

4-Subsequent to the revoking of the consent, recommendation to initiate action against M/s Indo Industries,Chamraval Road, Village Aheda, Tehsil and District Bagpat under section 31A of Air(Prevention and control of Pollution) Act 1981 was sent to Head Office ,Lucknow vide this office letter no-1740/c/I-27/2019 dated 25/02/2019(Copy attached), which is under process.

The above action taken report submitted before Hon'ble NGT, for kind perusal and necessary action.

Enclosure-As above.

05/03/19 (S.P.Singh) J.E.

05/03/19 (Prakhar Kumar) A.E.E.

Regional Officer

05/03/19

(8)

1740/डब्ल्यू-27/2019

सेवा में,

25/3/19

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3),
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषय :– मै0 इंडो इंडस्ट्रीज,चमरावल रोड ग्राम–अहेडा,तहसील व जनपद बागपत के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 21.02.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार, निरीक्षण के समय वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाऐं नही पायी गयी तथा उद्योग की हाऊस कीपिंग खराब पायी गयी। अतः उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि उद्योग के विरुद्ध ग्राम अहेडा के निवासियों की जन शिकायत प्राप्त हुई है तथा उक्त शिकायती प्रकम पर मानवाधिकार आयोग के दिनांक 14.01.2019 द्वारा निम्नवत आदेश पारित किये गये थे–

"These complaints be transmitted to the concerned authority for such as deemed appropriate. The authority concerned is directed to take appropriate action within 8 weeks associating the complaints/victim and to inform them of the action taken in the matter."

जिसके संबंध में कृत कार्यवाही की आख्या दिनांक 18.03.2019 तक जिलाधिकारी कार्यालय,बागपत को प्रस्तुत की जानी है। उक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर0के0त्यागी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय,बागपत को उनके कार्यालय के प्रभारी शिकायत के पत्रांक 183/सी0सी0–माननीय मानव अधिकार आयोग दिनांक 18.02.2019 के संबंध में सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. शिकायतकर्ता श्री ओमपाल पुत्र श्री रामकाला एवं अन्य ग्राम अहेडा तहसील व जनपद बागपत(उ0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

(9)

मै0 इंडो इंडस्ट्रीज,चमरावल रोड ग्राम–अहेडा,तहसील व जनपद बागपत के विरुद्ध शिकायत के संबंध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक संदर्भित उद्योग के संबंध में जिलाधिकारी महोदय,बागपत के पत्रांक 183/सी0सी0–माननीय मानवाधिकार आयोग दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में उद्योग का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 21.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री अमित कुमार जैन,उद्योग प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. उक्त उद्योग ग्राम अहेडा से लगभग 639मी0 की दूरी पर पश्चिम दिशा में अहेडा बागपत रोड पर स्थित है।

2. उद्योग द्वारा यूज्ड आयल का कच्चे माल के रुप में प्रयोग कर डिस्टलेशन प्रकिया द्वरा रिफाइन्ड आयल लगभग 12कि0ली0/दिन का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

3. इकाई में दो थर्मिक फ्ल्यूड हीटर(आयल फायर्ड) क्षमता 06 लाख किलो कैलो0 तथा 06 लाख किलो कैलो0 स्थापित है। उक्त थर्मिक फ्ल्यूड हीटर(आयल फायर्ड) में ईंधन के रुप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। थर्मिक फ्ल्यूड हीटर(आयल फायर्ड) एवं डिस्टिलेशन प्रोसेस से जनित वायु उत्सर्जन के निस्तारण हेतु वैट स्कबर तथा 20मी0 ऊँची चिमनी की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था (वैट स्कबर) खराब पाया गया एवं उद्योग द्वारा प्रक्रिया उत्सर्जकों को सीधे ही चिमनी के माध्यम से निस्तारित किया गया पाया गया।

4. उद्योग के निरीक्षण के समय हाऊस कीपिंग एवं यूज्ड आयल का रखरखाव संतोषजनक नही पाया गया।

5. उद्योग को कार्यालय के पत्रांक सं0 1854 दिनांक 30.03.2017 द्वारा उद्योग में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के कमियों के दृष्टिगत नोटिस प्रेषित किया जा चुका है तथा पुनः कार्यालय के पत्र सं0 1621 दिनांक 13.02.2019 द्वारा जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं तथा पूर्व में निर्गत जल/वायु सहमति वैधता अवधि दिनांक 31.12.2019 में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है। उद्योग द्वारा आज दिनांक 22.02.2019 तक उपरोक्त पत्रों का प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है।

6. उद्योग द्वारा जल/वायु सहमति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन नही किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार,उद्योग के विरुद्ध वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(एस0पी0 सिंह)
अवर अभि0

(प्रखर कुमार)
सहा0पर्या0अभि0

क्षेत्रीय अधिकारी

25/02/19

REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

(10)

संदर्भ सं० Ref. No. 1739/cI-27/2019 दिनाँक Dated 23/7/19

Regd.

सेवा में,

मै० इंडो इंडस्ट्रीज,
चमरावल रोड ग्राम–अहेडा
तहसील व जनपद बागपत।

विषय :– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत जारी सहमति के निरस्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उद्योग को इस कार्यालय के पत्रांक 1341/सी/एमआरटी/आई–27/2017 दिनांक–31.01.2017 द्वारा सशर्त सहमति दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु निर्गत की गयी थी।

अवगत कराना है कि उद्योग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के क्रम में आपके उद्योग का निरीक्षण द्वारा इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.02.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार वायु नियंत्रण व्यवस्था संचालित नहीं पायी गयी तथा वायु सहमति की शर्तों का उल्लंघन होता पाया गया। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं में पायी गयी कमियों के सुदृढ़ किये जाने हेतु कार्यालय के पत्र सं० 1621 दिनांक 13.02.2019 तथा पत्रांक सं० 1854 दिनांक 30.03.2017 द्वारा नोटिस भी प्रेषित किये गये थे परन्तु उद्योग द्वारा उक्त पत्रों के क्रम में कोई उत्तर प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः उद्योग को जारी वायु सहमति 1341/सी/एमआरटी/आई–6/2017 दिनांक–31.01.2017 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 यथा संशोधित में प्रख्यापित प्राविधान 21(6) के अधीन रिवोक(निरस्त) की जाती है।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :– मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

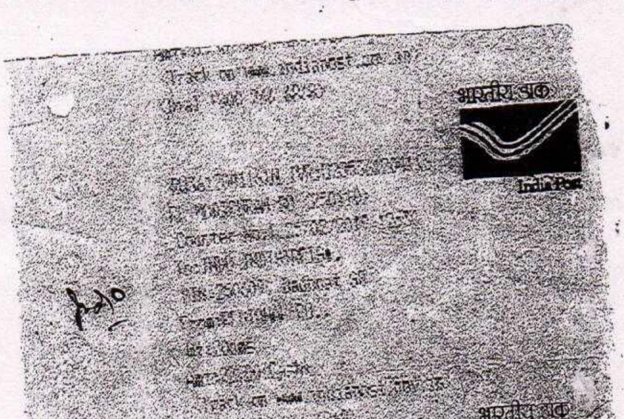

REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

(11)

संदर्भ सं० / Ref. No. 1738/ए.I. 27/2019

दिनाँक / Dated 23/12/19

Regd.

सेवा में,

मै० इंडो इंडस्ट्रीज,
चमरावल रोड ग्राम–अहेडा
तहसील व जनपद बागपत।

विषय :– जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत जारी सहमति के निरस्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ईंट भट्टे को इस कार्यालय के पत्रांक 1340/सी/एमआरटी/आई–27/2017 दिनांक 31.01.2017 द्वारा सशर्त सहमति दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु निर्गत की गयी थी।

अवगत कराना है कि उद्योग के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें के क्रम में आपके उद्योग का निरीक्षण द्वारा इस कार्यालय द्वारा दिनांक 21.02.2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग की हाऊस कीपिंग सुदृढ नही पायी गयी,यूज्ड आयल का रखरखाव ठीक प्रकार से नही पाया गया तथा जल सहमति की शर्तों का उल्लंघन होता पाया गया। उद्योग में पायी गयी कमियों को सुदृढ किये जाने हेतु पत्र सं0 1621 दिनांक 13.02.2019 तथा पत्रांक सं0 1854 दिनांक 30.03.2017 द्वारा नोटिस भी प्रेषित किये गये थे परतु उद्योग द्वारा उक्त पत्रों के क्रम में कोई उत्तर प्रेषित नही किया गया है।

अतः उद्योग को जारी जल सहमति 1340/सी/एमआरटी/आई–27/2017 दिनांक–31.01.2017 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित में प्रख्यापित प्राविधान 27(2) के अधीन रिवोक(निरस्त) की जाती है।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :– मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 इंडो इंडस्ट्रीज,चमरावल रोड ग्राम–अहेडा,तहसील व जनपद बागपत के विरुद्ध शिकायत के संबंध में निरीक्षण आख्या।

(12)

उपरोक्त विषयक संदर्भित उद्योग के संबंध में जिलाधिकारी महोदय,बागपत के पत्रांक 183/सी0सी0–माननीय मानवाधिकार आयोग दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में उद्योग का निरीक्षण अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 21.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री अमित कुमार जैन,उद्योग प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. उक्त उद्योग ग्राम अहेडा से लगभग 639मी0 की दूरी पर पश्चिम दिशा में अहेडा बागपत रोड पर स्थित है।

2. उद्योग द्वारा यूज्ड आयल का कच्चे माल के रुप में प्रयोग कर डिस्टलेशन प्रकिया द्वारा रिफाइन्ड आयल लगभग 12कि0ली0/दिन का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

3. इकाई में दो थर्मिक फ्ल्यूड हीटर(आयल फायर्ड) क्षमता 06 लाख किलो कैलो0 तथा 06 लाख किलो कैलो0 स्थापित है। उक्त थर्मिक फ्ल्यूड हीटर(आयल फायर्ड) में ईंधन के रुप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। थर्मिक फ्ल्यूड हीटर(आयल फायर्ड) एवं डिस्टिलेशन प्रोसेस से जनित वायु उत्सर्जन के निस्तारण हेतु वैट स्कबर तथा 20मी0 ऊँची चिमनी की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय उपरोक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था (वैट स्कबर) खराब पाया गया एवं उद्योग द्वारा प्रकिया उत्सर्जकों को सीधे ही चिमनी के माध्यम से निस्तारित किया गया पाया गया।

4. उद्योग के निरीक्षण के समय हाऊस कीपिंग एवं यूज्ड आयल का रखरखाव संतोषजनक नही पाया गया।

5. उद्योग को कार्यालय के पत्रांक सं0 1854 दिनांक 30.03.2017 द्वारा उद्योग में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के कमियों के दृष्टिगत नोटिस प्रेषित किया जा चुका है तथा पुनः कार्यालय के पत्र सं0 1621 दिनांक 13.02.2019 द्वारा जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं तथा पूर्व में निर्गत जल/वायु सहमति वैधता अवधि दिनांक 31.12.2019 में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है। उद्योग द्वारा आज दिनांक 22.02.2019 तक उपरोक्त पत्रों का प्रतिउत्तर प्रेषित नही किया गया है।

6. उद्योग द्वारा जल/वायु सहमति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार,उद्योग को जारी जल सहमति संदर्भ सं0 1340 दिनांक 31.01.2017 तथा वायु सहमति संदर्भ सं0 1341 दिनांक 31.01.2017 को जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 यथासंशोधित तथा वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 में प्रख्यापित प्राविधानों के अंतर्गत रिवोक किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(एस0पी0 सिंह)
अवर अभि0

(प्रखर कुमार)
सहा0पर्या0अभि0
22.2.19

क्षेत्रीय अधिकारी
22.02.19

By Post 21/2/19

(13)

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी बागपत।

पत्रांक 183 /सी0सी0–माननीय मानवाधिकार आयोग दिनांक 18 फरवरी, 2019

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

मेरठ।

विषयः– **केस संख्या 333/24/08/2019 श्री ओम पाल पुत्र श्री राम काला एवं अन्य निवासीगण ग्राम अहेड़ा तहसील व जनपद बागपत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक निबन्धक (विधि), माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र दिनांक 14/01/2019 (मूलरुप में संलग्न) के साथ संलग्न श्री ओमपाल व अन्य ग्रामवासियों निवासी ग्राम अहेडा तहसील व जनपद बागपत के प्रार्थना पत्र दिनांक 04–12–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम में आबादी के नजदीक चमरावल रोड पर काले तेल को फिल्टर करने वाली एक मोबिल आयल फैक्ट्री चल रही है। जिससे निकलने वाली जहरीली गैस एवं धुएं के कारण ग्रामवासियों तथा जानवरों को सॉस लेने में तकलीफ होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित तथ्यों एवं माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 08–03–2019 तक आख्या से अवगत कराना सुनिश्चित करे ताकि माननीय आयोग को समय से आख्या प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः– यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी (शिकायत)
कृते जिलाधिकारी
बागपत।

कृते जिलाधिकारी बागपत

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

कृते जिलाधिकारी
बागपत।

2861925

AEE/OR

तत्काल आख्या प्रस्तुत करें एवं कृत कार्यवाही से आख्या जिलाधिकारी बागपत कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

21-02-19

21/2/19

Assistant Registrar(LAW)
Fax No.: 011-2465 1332
Home Page : http://nhrc.nic.in

Case No. 333/24/8/2019/OC
NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

(L A W D I V I S I O N)
MANAV ADHIKAR BHAWAN
BLOCK-'C', G.P.O. COMPLEX, INA, NEW DELHI - 110023

C - 399
ACICC

Dated 14/01/2019

Case No. **333/24/8/2019/**
To
THE DISTRICT MAGISTRATE
BAGHPAT,UTTAR PRADESH

जिलाधिकारी बागपत 23 JAN 2019

Sir/Madam,

The complaint dated 04/12/2018 received from OMPAL S/O RAM KALA AND OTHERS in respect of OMPAL S/O RAM KALA AND OTHERS, was placed before the Commission on 08/01/2019. Upon perusing the complaint, the Commission directed as follows.

These complaints be transmitted to the concerned authority for such action as deemed appropriate. The authority concerned is directed to take appropriate action within 8 weeks associating the complainant/victim and to inform them of the action taken in the matter.

2. Accordingly, I am forwarding the complaint in original for necessary action as per the directions of the Commission.

Yours faithfully,

ASSISTANT REGISTRAR (LAW)

CC To :

Case No. 333/24/8/2019/
OMPAL S/O RAM KALA AND OTHERS
AT- VILL- AHEDA,
BAGHPAT, UTTAR PRADESH.
PIN : - 0

ASSISTANT REGISTRAR(LAW)

By Post 21/2/19

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

कार्यालय जिलाधिकारी बागपत।

पत्रांक 183 /सी0सी0–माननीय मानवाधिकार आयोग दिनांक 19 फरवरी, 2019

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मेरठ।

विषयः– **केस संख्या 333/24/08/2019 श्री ओम पाल पुत्र श्री राम काला एवं अन्य निवासीगण ग्राम अहेड़ा तहसील व जनपद बागपत के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक निबन्धक (विधि), माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र दिनांक 14/01/2019 (मूलरुप में संलग्न) के साथ संलग्न श्री ओमपाल व अन्य ग्रामवासियों निवासी ग्राम अहेडा तहसील व जनपद बागपत के प्रार्थना पत्र दिनांक 04–12–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम में आबादी के नजदीक चमरावल रोड पर काले तेल को फिल्टर करने वाली एक मोबिल आयल फैक्ट्री चल रही है। जिससे निकलने वाली जहरीली गैस एवं धुएं के कारण ग्रामवासियों तथा जानवरों को सॉस लेने में तकलीफ होती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित तथ्यों एवं माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए दिनांक 08–03–2019 तक आख्या से अवगत कराना सुनिश्चित करे ताकि माननीय आयोग को समय से आख्या प्रेषित की जा सके।

संलग्नकः– यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी (शिकायत)
कृते जिलाधिकारी
बागपत।

कृते जिलाधिकारी बागपत

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

कृते जिलाधिकारी
बागपत।

AEE/OR

तत्काल आख्या प्रस्तुत करें एवं कृत कार्यवाही से आयोग को जिलाधिकारी बागपत को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

21-02-19

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE

Phone & Fax : 0121-2577676
Email : romeerut@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No. 1621/ए1 Indo ... 2019

दिनाँक / Dated 13/2/19

सेवा में,

मै0इण्डो इण्डस्ट्रीज,
ग्राम अहेड़ा,
जनपद बागपत ।

विषय– वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अनुपालन के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ग्राम अहेड़ा के निवासियों द्वारा आपके उद्योग के विरूद्व निरंतर शिकायतें की जा रही हैं कि आपके उद्योग से जहरीली गैसें उत्पन्न हो रही हैं जिससे ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उपरोक्त शिकायत के कम में कार्यालय द्वारा आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक–24/12/2018 व 06/2/2018 को किया गया । निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग संचालित पाया गया । आख्यानुसार यह संभावना इंगित की गयी है कि उद्योग रात्रि के समय अपने वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र बंद करने की संभावना है जिस कारण निरंतर शिकायत प्राप्त हो रही है । यद्यपि आपके उद्योग को कार्यालय के पत्रांक–06/सहमति(वायु) आदेश/2017 दिनांक–31/1/2017 द्वारा वायु सहमति निर्गत की गयी है । उपरोक्त सहमति आदेश में आरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है तथा निरंतर प्राप्त शिकायतों के संबंध में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है तथा प्रकिया से जनित फ्यूम्स के नियंत्रण हेतु स्थापित वाटर स्कबर का समुचित संचालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है जिस कारण आसपास के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं कृत कार्यवाही का विवरण 07 दिन के अंदर कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में उद्योग के विरूद्व कार्यवाही की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित कर दी जायेगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा ।

भवदीय

(आर0के0त्यागी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी महोदय, बागपत ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त--3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
3. उपजिलाधिकारी, बागपत को उनके पत्रांक–580/एसटीबागपत दिनांक–07/2/19 के अनुकम में निरीक्षण आख्या की प्रति सहित सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. शिकायतकर्ता, श्री विनोद कुमार ग्राम अहेड़ा, तहसील व जनपद बागपत ।

क्षेत्रीय अधिकारी

भारतीय डाक
India Post
RU361201358IN INR:0285561201
RL MODIPURAM SO <250110>
Counter No:1,10/02/2019,11:49
To:INDO INDUSTRIES ,AHERA
PIN:250609, Baghpat SO
From:RO UPPCB ,PALLAVPURAM
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
(Track on www.indiapost.gov.in)

(17)

मै0इण्डो इण्डस्ट्रीज, ग्राम अहेड़ा तहसील व जनपद बागपत के विरूद्व प्राप्त शिकायतों के कम में निरीक्षण आख्या ।

उपरोक्त विषयक उक्त उद्योग के विरूद्व पूर्व में प्राप्त शिकायत दिनांक–04/12/18 के कम में उद्योग द्वारा 24/12/2018 एवं 06/02/2019 को निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण आख्या निम्नवत है–

1. उक्त प्रश्नगत उद्योग देशांतर अक्षांश–28.934956, 77.259169 चमरावल रोड ग्राम अहेड़ा, तहसील व जनपद बागपत पर स्थित है ।

2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में यूज्ड आयल को डिस्टलेशन प्रोसेस द्वारा रिप्रोसेसिंग कर यूज्ड आयल को शुद्वीकृत करने का कार्य किया जाता है ।

3. उक्त प्रश्नगत उद्योग के निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित थर्मोफ्ल्यूड हीटर/रिप्रोसेसिंग से जनित फ्यम्स के नियंत्रण हेतु वेट स्कबर तथा 30मीटर ऊंची चिमनी की स्थापना की गयी है । निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित वेट स्कबर संचालित पाया गया यद्यपि उद्योग के विरूद्व निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही है जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वार वेट स्कबर का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है ।

4. उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 तक जल/वायु सहमति प्राप्त है । अपितु उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से प्राप्त जल/वायु सहमति की अक्षरशः अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग को नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

13/02/19

(एस0पी0सिंह)

अवर अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी

13/02/19

BY POST 12/02/19

(18)

मा0 आयुक्त सन्दर्भ
कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर बागपत

संख्या 580 / एस0टी0–बागपत दिनांक 7/02/19 2019

विषयः ग्राम अहैडा तहसील बागपत जनपद बागपत में वायु प्रदूषण से हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड मेरठ, पाकेट टी0–सी0–3/2

पल्लवपुरम फेज–2 मोदीपुरम मेरठ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय बागपत के पृष्ठांकन आदेश संख्या एम–203/सी0सी0–आयुक्त–2019 दिनांक 18.01.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जो ग्राम अहैडा तहसील बागपत जनपद बागपत की निवासीगणों द्वारा एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2018 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि ग्राम अहैडा में आबादी के नजदीक चमरावल रोड पर सिरिया भट्टे के सामने काले तेल को फिल्टर करने एक मोबिल ऑयल की फैक्ट्री चल रही है। जिसमें काफी जहरीली गैस आसपास के वातावरण में फैल जाती है जिससे गांव में पशुओं व व्यक्तियों को श्वांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही है दिया गया है। (मूल रूप में संलग्न)

अतः उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2018 मूल रूप में आवश्यक नियमानुसार प्रेषित किया जा रहा है। जिसकी आख्या प्रत्येक दशा उपलब्ध करानी है।

संलग्नकः यथोपरि

07/02/19
(विवेक कुमार यादव)
उप जिलाधिकारी सदर
बागपत

प्रतिलिपिः 01–जिलाधिकारी महोदय बागपत को उनके पृष्ठांकित आदेश एम–203/सी0सी0 दिनांक 18.01.2019 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी सदर
बागपत

AEE / JE

12.02.19

(19)

MZ/RF06475203

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जनपद बागपत।

विषयः ग्राम अहेडा जनपद बागपत में वायु प्रदूषण से हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थीगण ग्राम अहेडा तहसील व जिला बागपत के रहने वाले है और कानून पसंन्द व्यक्ति है। प्रार्थीगणों के गांव अहेडा में आबादी के नजदीक चमरावल रोड पर सिरिया भट्टे के सामने काले तेल को फिल्टर करने एक मोबिल ऑयल की फैक्ट्री चल रही है। जिससे काफी जहरीली गैस आसपास के वातावरण में फैल जाती है जिससे गांव में पशुओं व व्यक्तियों को श्वास लेने में काफी दिक्कतें हो रही है और बच्चों में अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी पनप रही है और फैक्ट्री से निकलने वाली गैस के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण से सभी ग्रामवासियों व पशुओं का जीवन खतरे में है। जिस सम्बन्ध में गांव के काफी व्यक्तियों ने आप महोदय को एवं तहसील दिवस में कई बार प्रार्थना पत्र दिये है परन्तु उन पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है और ग्रामीण लोग व उनके पशु फैक्ट्री से उत्पन्न वायु प्रदूषण से बेवख्त मरने को मजबूर है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त मोबिल ऑयल फैक्ट्री से उत्पन्न वायु प्रदूषण को रूकवाकर हम ग्रामीणों के साथ न्याय करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक– 5-2-18

प्रार्थीगण

समस्त ग्रामवासी
ग्राम अहेडा, तहसील बागपत
जनपद बागपत

प्रतिलिपि–

1. मान0 मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, राजकीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(6) विनोद कुमार S/o रामचन्द्र
(7) अजय कुमार S/o [illegible]
(8) रु0। धीरसिंह S. ओमसिंह
(9) मनवीर S. [illegible]
(10) [illegible]
(11) सौरभ कुमार S/o नेपाल सिंह

श्री बलबीर [illegible]
श्री वेदपाल S/o [illegible]
[illegible]